

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -63/2020
अनवान : -

1. सतीश नाबालिग पुत्र भगताराम जरिये संरक्षिका नानी मोहिनी पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

- वादी

बनाम्

1. रामेती देवी पत्नी रामकिशन जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. लीलादेवी पुत्री रामकिशन पत्नी खेताराम दुकीया जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. धर्मा देवी पुत्री रामकिशन पत्नी हीराराम भाम्बू जाति जाट निवासी लालगढिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजो देवी पुत्री रामकिशन पत्नी बीरबल भाम्बू जाति जाट निवासी लालगढिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. रोहिताश कुमार पुत्र शीलादेवी पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी टपी तहसील डबवाली।
6. कुलदीप कुमार पुत्र शीलादेवी पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी टपी तहसील डबवाली।
7. किरण देवी पुत्री शीलादेवी पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी टपी तहसील डबवाली।
8. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. पृथ्वीराज पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादीगण


दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 08/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 74/76 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 0.0650 है0 भूमि में से 1/5 व खाता संख्या 73/75 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 1.9580 है0 भूमि रामकिशन पुत्र दयाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें  जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के दादा रामकिशन पुत्र दयाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके बाद कुल 8

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वारिस रामेती देवी, लीलादेवी, धर्मा देवी, राजो देवी, शीला देवी, भगतराम, राजेन्द्र कुमार व पृथ्वीराज हुए जिसमें से भगतराम पुत्र रामकिशन फौत हो चुका है जिसके एक मात्र वारिस वादी है तथा शीला देवी पुत्री रामकिशन फौत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 हैं जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 4 जो कि वादी की बुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 जो कि वादी की मृतक बुआ शीला देवी के वारिसान है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयो/मामा व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुके इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 74/76 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 0.0650 है० में वादी व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 तीनों ब० हि० ब० काबिज है व 2 जेएसएन के खाता संख्या 73/75 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 1.9580 है० भूमि में से प० नं० 369/372 (48) किला नं. 14/2 की 0.013 है०, 15 की 0.074 है०, 16 की 0.139 है०, 17 की 0.240 है०, 18/2 की 0.240 है० कुल 0.706 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 9 पृथ्वीराज काबिज है तथा प० नं० 369/372 (48) किला नं. 22 की 0.253 है०, 23/2 की 0.240 है०, 21 के मिन पूर्व की 0.133 है० भूमि यानी की कुल 0.626 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 राजेन्द्र कुमार काबिज है व प० नं० 369/372 (48) किला नं. 19 की 0.253 है०, 20 की 0.253 है०, 21 के मिन पश्चिम की 0.120 है० कुल 0.626 है० भूमि में वादी सतीश काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 10 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण रामकिशन, शीलादेवी, भगतराम दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

Lahul
उपज्ज्वल अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के दादा रामकिशन पुत्र दयाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके बाद कुल 8 वारिस रामेती देवी, लीलादेवी, धर्मा देवी, राजो देवी, शीला देवी, भगताराम, राजेन्द्र कुमार व पृथ्वीराज हुए जिसमें से भगताराम पुत्र रामकिशन फौत हो चुका है जिसके एक मात्र वारिस वादी है तथा शीला देवी पुत्री रामकिशन फौत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 है जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 4 जो कि वादी की बुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 जो कि वादी की मृतक बुआ शीला देवी के वारिसान है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयो/मामा व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुके इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 74/76 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 0.0650 है० में वादी व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 तीनों ब० हि० ब० काबिज है व 2 जेएसएन के खाता संख्या 73/75 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 1.9580 है० भूमि में से प० नं० 369/372 (48) किला नं. 14/2 की 0.013 है०, 15 की 0.074 है०, 16 की 0.139 है०, 17 की 0.240 है०, 18/2 की 0.240 है० कुल 0.706 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 9 पृथ्वीराज काबिज है तथा प० नं० 369/372 (48) किला नं. 22 की 0.253 है०, 23/2 की 0.240 है०, 21 के मिन पूर्व की 0.133 है० भूमि यानी की कुल 0.626 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 राजेन्द्र कुमार काबिज है व प० नं० 369/372 (48) किला नं. 19 की 0.253 है०, 20 की 0.253 है०, 21 के मिन पश्चिम की 0.120 है० कुल 0.626 है० भूमि में वादी सतीश काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश जा चुका है अर्थात वाद के वाद बाबत किसी को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 74/76 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 0.0650 है० भूमि में से 1/5 व खाता संख्या 73/75 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 1.9580 है० भूमि रामकिशन पुत्र दयाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के दादा रामकिशन पुत्र दयाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके बाद कुल 8 वारिस रामेती देवी, लीलादेवी, धर्मा देवी, राजो देवी, शीला देवी, भगताराम, राजेन्द्र कुमार व

Lahuri
उपखण्ड अधिकारी
नोहर


पृथ्वीराज हुए जिसमें से भगतराम पुत्र रामकिशन फौत हो चुका है जिसके एक मात्र वारिस वादी है तथा शीला देवी पुत्री रामकिशन फौत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 है जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 4 जो कि वादी की बुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 जो कि वादी की मृतक बुआ शीला देवी के वारिसान है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयो/मामा व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुके इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 74/76 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 0.0650 है० में वादी व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 तीनों ब० हि० ब० काबिज है व 2 जेएसएन के खाता संख्या 73/75 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 1.9580 है० भूमि में से प० नं० 369/372 (48) किला नं. 14/2 की 0.013 है०, 15 की 0.074 है०, 16 की 0.139 है०, 17 की 0.240 है०, 18/2 की 0.240 है० कुल 0.706 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 9 पृथ्वीराज काबिज है तथा प० नं० 369/372 (48) किला नं. 22 की 0.253 है०, 23/2 की 0.240 है०, 21 के मिन पूर्व की 0.133 है० भूमि यानी की कुल 0.626 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 राजेन्द्र कुमार काबिज है व प० नं० 369/372 (48) किला नं. 19 की 0.253 है०, 20 की 0.253 है०, 21 के मिन पश्चिम की 0.120 है० कुल 0.626 है० भूमि में वादी सतीश काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश जा चुका है अर्थात वाद के वाद बाबत किसी को कोई ऐतराज नहीं है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान एवं सदस्य प्रमाण पत्र के के अलावा मृतक रामकिशन के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 74/76 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 0.0650 है भूमि में मृतक रामकिशन पुत्र दयाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 तीनों के ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 73/75 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 1.9580 है भूमि में मृतक रामकिशन पुत्र दयाराम का नाम कलमजन किया जाकर प.न. 369/372 (48) किला न. 19 की .253 है., 20 की .253 है., 21 के मिन पश्चिम की 0.120 है. कुल 0.626 है. भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प.न. 369/372 (48) किला न. 14/2 की 0.013 है., 15 की 0.074 है., 16 की 0.139 है., 17 की

Sahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0.240 है., 18/2 की 0.240 है. कुल 0.706 है. भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प.न. 369/372 (48) किला न. 22 की 0.253 है., 23/2 की 0.240 है., 21 के मिन पूर्व की 0.133 है. भूमि कुल 0.626 है. भूमि प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -63/2020

अनवान : -

1. सतीश नाबालिग पुत्र भगताराम जरिये संरक्षिका नानी मोहिनी पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

- वादी

बनाम्

1. रामेती देवी पत्नी रामकिशन जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. लीलादेवी पुत्री रामकिशन पत्नी खेताराम दुकीया जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. धर्मा देवी पुत्री रामकिशन पत्नी हीराराम भाम्बू जाति जाट निवासी लालगढिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजो देवी पुत्री रामकिशन पत्नी बीरबल भाम्बू जाति जाट निवासी लालगढिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. रोहिताश कुमार पुत्र शीलादेवी पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी टपी तहसील डबवाली।
6. कुलदीप कुमार पुत्र शीलादेवी पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी टपी तहसील डबवाली।
7. किरण देवी पुत्री शीलादेवी पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी टपी तहसील डबवाली।
8. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. पृथ्वीराज पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 63 सन 2020 निर्णय दिनांक 08/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संम्बत् 2076-2079 के खाता संख्या 74/76 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 0.0650 है भूमि में मृतक रामकिशन पुत्र दयाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 तीनों के ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मोजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 73/75 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 1.9580 है भूमि में मृतक रामकिशन पुत्र दयाराम का नाम कलमजन किया जाकर प.न. 369/372 (48) किला न. 19 की .253 है., 20 की .253 है., 21 के मिन पश्चिम की 0.120 है. कुल 0.626 है. भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प.न. 369/372 (48) किला न. 14/2 की 0.013 है., 15 की 0.074 है., 16 की 0.139 है., 17 की 0.240 है., 18/2 की 0.240 है. कुल 0.706 है. भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प.न. 369/372 (48) किला न. 22 की 0.253 है., 23/2 की 0.240 है., 21 के मिन पूर्व की 0.133 है. भूमि कुल 0.626 है. भूमि प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर